तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज **आसुराम वगैरह बनाम रामलाल वगैरह, मुकदमा संख्या :– 14 / 2024**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए
21.10.2024	अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि सरहद मौजा जैसला, पटवार क्षेत्र–अचलपुर में प्रार्थीगण के नवीन खेत खसरा संख्या 122 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा संख्या 123 रकबा 4.47 हैक्टेयर, खसरा संख्या 126 / 191 रकबा 0.18 हैक्टेयर जुमले रकबा 4.73 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण का मालिकाना हकहकूक व कदीमी लगातार शांतिपूर्ण कब्जाकाश्त का आया हुआ है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण की रहवासीय ढाणीयां भी स्थित है। वादग्रस्त आराजी के पुराना खसरा संख्या 78 रकबा 28 बीघा 13 बिस्वा व खसरा संख्या 77 रकबा 11 बिस्वा के द्वितीय सेटलमेंट में नवीन खसरा संख्या 122, 123, 126 / 191 का सृजन हुआ। वादग्रस्त आराजी में स्व. भाखराराम का 1 / 3 हिस्सा था जिन्होंने अपना 1 / 3 हिस्सा अपने जीवनकाल में ही अपने सगे भाई प्रार्थी संख्या 2 धुडाराम व स्व. हीराराम को अंतिम रूप से हकतर्कनामा दिनांक 06.07.1979 को कर दिया था तथा कब्जा भी सुपुर्द कर दिया था। हीराराम के फौत होने पर इनका गोदपुत्र वारिस प्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल का उक्त खेत पर कब्जा काश्त है। स्व. भाखराराम द्वारा तर्कनामा के बाद कभी भी कब्जाकाश्त अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का कभी नहीं रहा। हमेशा आउट ऑफ पजेशन रहे है। उक्त वादग्रस्त आराजी पर हकतर्कनामा के पश्चात हकहकूक व कब्जा प्रार्थीगण का रहा है उकत आराजी के हक पाने के प्रार्थीगण अधिकारी है। प्रार्थी मांगीलाल के गोदपिता को भूमि तर्कनामा के जरिये दिये जाने पर अन्य किसी व्यक्ति को हस्तांतरण नहीं की तथा प्रार्थी स्व. हीराराम को गोदपुत्र होने व प्रार्थी धुड़ा को भूमि हकतर्कनामा के जरिये कब्जा सुपुर्द कर देने की तारीख के बाद लगातार प्रार्थीगण का कब्जा काश्त रहा है। वादग्रस्त आराजी का हक कब्जा प्रार्थीगण को सुपुर्द करने के बाद अप्रार्थीगण का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा उसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने पटवारी से सांठ गांठ कर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की जांच किये बिना अवैध व गैर कानूनी तरीके से वादग्रस्त भूमि के 1 / 3 हिस्से में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का नाम इन्द्राज कर दिया। जिसका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को बेचान, रहन, तर्क करने के लिए तुले हुए है। वादग्रस्त आराजी का अंतिम रूप से हक कब्जा का परित्याग भाखराराम द्वारा प्रार्थीगण को देने की तारीख से पिछले 34 वर्षो से आज दिन तक लगातार शांतिपूर्ण कब्जा काश्त प्रार्थीगण का होने से प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण अवैध व गैर कानूनी तरीके से वादग्रस्त भूमि का आगे से आगे अजनबी व्यक्ति को बेचान, रहन कर कब्जे से बेदखल कर देते है तो प्रार्थीगण को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी, जिसका आंकलन कतई दृव्यों में संभव नही है अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त वादग्रस्त आराजी में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें कि अप्रार्थीगण मूल वाद ताफैसला तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों [illegible] विरोध करते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते [illegible] अपनी बहस में निवेदन किया कि हीरा नाऔलाद गुजर गया जिसके [illegible] पुत्र पुत्री नहीं थे तथा निर्वसियत फौत हुए हीरा ने किसी को [illegible] अनुसार गोद नहीं लिया था ऐसी सूरत में उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण का व अप्रार्थीगण का है इसी अनुसार कब्जा [illegible] भी है। अप्रार्थीगण के पिता / पति भाखराराम ने वादपत्र आराजी में से 1 / 3 हिस्सा आज दिन तक धुड़ाराम, हिराराम या अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार का हक तर्कनामा नहीं करवाया न ही कब्जा सुपुर्द किया तथा कथित हकतर्कनामा गलत व बेबुनियाद है। मांगीलाल ने अपने आप को हिरा की जमीन हड़पने हेतु हीरा का गोदपुत्र बताया है	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:16:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

जबकि गोदनामा प्रभाव शून्य है क्योंकि गोदनामा गांव में कभी नहीं करवाया गया। तथाकथित गोदनामें में मांगीलाल को हीरा की संपति में कोई कानूनी हक नहीं मिलता है। ऐसी सूरत में उपरोक्त आराजी में 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण का व 1/2 हिस्सा हम अप्रार्थीगण का रहता है जिस पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। अतः श्रीमान से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:16:03 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीगण के पक्ष में तथा [illegible] के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की [illegible] जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण मौजा [illegible] खेत खसरा संख्या 122, 123, 126/191 जुमले रकबा 4.73 हैक्टेयर भूमि में मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) साचौर, जिला–साचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) साचौर